कुरुक्षेत्र का सारांश (मार्च 2026)

सुधार से परिणाम तक

परिचय

यह लेख केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत/2047 के साथ संरेखित एक सुधार संचालित रोडमैप के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि व्यापक आर्थिक स्थिरता, संस्थागत क्षमता और लक्षित आवंटन ग्रामीण विकास, प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं आजीविका विस्तार में परिवर्तित हो रहे हैं।

Table-1: Budget Allocation in Selected Union Ministries in 2025-26 & 2026-27

SN	Name of the Ministry	*Allocation (In Rs. Cr.)*			Increase of Allocation *(in %)* in 2026-27 *Over*	
		2025-26		2026-27		
		BE	RE	BE	2025-26 RE	2025-26 BE
1	Skill Development & Entrepreneurship	6,100.10	2,703.54	9,885.80	265.57%	62.0%
2	Micro, Small and Medium Enterprises	23,168.15	12,095.98	24,556.27	103.01%	5.9%
3	Women & Child Development	26,889.69	24,373.91	28,183.06	15.63%	4.8%
4	Rural Development	1,87,754.53	1,86,995.61	1,94,368.81	3.94%	3.5%
5	Agriculture & Farmer's Welfare	1,27,290.16	1,23,089.30	1,30,561.38	6.07%	2.5%

Note: BE: Budget Estimate and RE: Revised Estimate
Source: Compiled from 2026-27 Demand For Grants, Union Budget Document, Ministry of Finance, GoI

आवंटन प्राथमिकताएँ और विकास प्रोत्साहन

- कौशल विकास के लिए उच्च आवंटन, एम.एस.एम.ई., महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र लक्षित ग्रामीण सहायता का संकेत देते हैं।
- कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के लिए अत्यधिक वृद्धि मानव पूंजी और उद्यम-आधारित विकास पर जोर को दर्शाता है।
- ग्रामीण विकास और कृषि के लिए वित्तीयन में वृद्धि का उद्देश्य आजीविका, माँग एवं रोजगार को मजबूत करना है।
- यह लेख इन निवेशों को अधिक समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास की नींव मानता है।

प्रतिस्पर्द्धात्मकता, अवसंरचना एवं एम.एस.एम.ई. विस्तार

- इस बजट में क्लस्टर आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, परीक्षण सुविधाओं और बुनकरों व कारीगरों को समर्थन के माध्यम से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
- बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश का उद्देश्य रसद व उत्पादकता में सुधार करना है।
- TReDS और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से नए तरलता उपायों से एम.एस.एम.ई. की कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को कम करने की उम्मीद है।
- एस.एम.ई. ग्रोथ फंड और आत्मनिर्भर भारत समर्थन नीति ने जीवनयापन सहायता से हटकर विकासोन्मुखी क्षमता निर्माण की ओर रुख किया है।
- औद्योगिक गलियारों के पास स्थित पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप उद्योग-अकादमिक सहयोग के माध्यम से कौशल अंतर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं।

ग्रामीण उद्यम एवं सहकारी परिवर्तन

- पशुधन व उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए समर्थन का उद्देश्य आय बढ़ाना, उत्पादन में विविधता लाना और स्थानीय रोजगार सृजित करना है।
- यह लेख मजबूत सहकारी समितियों को मूल्यवर्द्धन, उद्यमिता एवं सामूहिक संसाधन प्रबंधन के साधन के रूप में देखता है।
- बेहतर शासन और व्यवसायीकरण से सहकारी समितियों को छोटे किसानों के लिए स्थायी आय सृजन मंच बनने में मदद मिल सकती है।
- पी.ए.सी.एस. (PACS) के कम्प्यूटरीकरण को ग्रामीण ऋण पारदर्शिता एवं वित्तीय समावेशन के एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात सहायता व सहकारी प्रशिक्षण से बाजार तक पहुँच व दीर्घकालिक व्यवहार्यता में सुधार होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

लेख का निष्कर्ष यह है कि बजट 2026 लक्षित क्षेत्रीय समर्थन के माध्यम से सुधारों को प्रत्यक्ष परिणामों में बदलता है। इसका मुख्य दावा यह है कि मजबूत ग्रामीण आजीविका, लघु एवं मध्यम उद्यम, सहकारी समितियाँ और बुनियादी ढाँचा मिलकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ करते हैं।

भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था की नींव रखना

परिचय

निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में विकसित भारत 2047 को अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं के साथ सरेखित किया गया है। यह बुनियादी मानवीय आधारों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्द्धचालक, महत्त्वपूर्ण खनिज, जैव-फार्मा एवं सटीक विनिर्माण की ओर अग्रसर है।

एआई और डिजिटल बैकबोन

- एआई डेटा केंद्र को राष्ट्रीय अवसंरचना के रूप में माना जाता है और विदेशी प्रदाताओं को 2047 तक कर छूट दी गई है।
- सेफ-हार्बर ट्रांसफर प्राइसिंग और इंडिया एआई मिशन के 38,000 जी.पी.यू. निवेशकों की पूर्वानुमानशीलता एवं अनुसंधान-स्टार्टअप के लिए कंप्यूटिंग सहायता की तलाश में हैं।
- वर्ष 2019 से डेटा सेंटर की क्षमता दोगुनी से अधिक हो गई है जो 590 मेगावाट से बढ़कर 1.4 गीगावाट से अधिक हो गई है।
- इस क्षेत्र में निवेश 2024 में 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया और 2027 तक यह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है।
- प्रमुख केंद्रों में मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं जो व्यापक भौगोलिक तकनीकी संकेंद्रण का संकेत देते हैं।
- यू.एन.सी.टी.ए.डी. (UNCTAD) तत्परता का स्तर 48वें से सुधरकर 36वाँ हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी रैंकिंग सुधर कर 39वें स्थान पर पहुँच गई है।

विनिर्माण एवं रणनीतिक सामग्री

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 असेंबली-टेस्टिंग से परे सामग्री, उपकरण, डिजाइन, बौद्धिक संपदा और कार्यबल को अधिक व्यापक बनाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट 22,900 करोड़ रुपये से बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो गया है जिससे अपस्ट्रीम क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।
- भारत ने 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ छह सेमीकंडक्टर फैब्स को मंजूरी दी है जो संपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- अनुमानित ₹1.25 लाख करोड़ की सेमीकंडक्टर-संबंधित प्रतिबद्धता डिजाइन की मजबूती को विनिर्माण क्षमता में बदलने के इरादे को दर्शाती है।
- निरंतर निर्माण, डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास के साथ भारत 2030 तक शीर्ष पाँच सेमीकंडक्टर गंतव्यों में शामिल हो सकता है।
- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ गलियारे रणनीतिक सामग्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

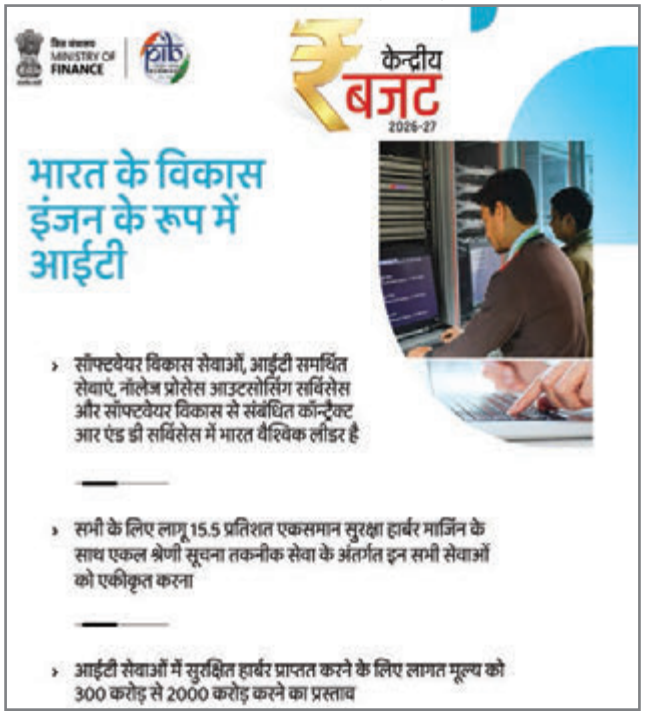

बायोफार्मा, औद्योगिक विशेषज्ञता और सामाजिक आधार

- एकीकृत चुंबक क्षमता का लक्ष्य प्रति वर्ष 6,000 टन है। ये चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों, रक्षा एवं रोबोटिक्स को सहायता प्रदान करते हैं।
- दुर्लभ पृथ्वी (रेयर अर्थ) धातुओं के प्रसंस्करण के लिए विनियमन की आवश्यकता है जिसका बाजार 2032 तक 635 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
- बायोफार्मा शक्ति, जिसे पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ का समर्थन प्राप्त है, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स को बढ़ावा देती है।
- नए संस्थान, उन्नत नैदानिक परीक्षण नेटवर्क और 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त केंद्र वैश्विक अनुसंधान एवं विकास सहयोग की तलाश में हैं।
- सी.पी.एस.ई. (CPSEs) द्वारा स्थापित हाई-टेक टूल रूम और पूंजीगत वस्तुओं का सहयोग सटीक विनिर्माण, एम.एस.एम.ई. और आपूर्ति-शृंखला की सुदृढ़ता को मजबूत बनाते हैं।
- इस बजट में शौचालय, नल का पानी, खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन, बिजली, कनेक्टिविटी, समावेशन पर जोर दिया गया है जिसके लिए निरंतरता, कौशल व निजी निवेश की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यह बजट एक लचीली, नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक क्षमता ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसकी सफलता निरंतर नीतिगत निरंतरता, संस्थागत क्षमता और निजी क्षेत्र की सक्रियता पर निर्भर करेगी।

ग्रामीण परिवर्तन को गति देना

परिचय

भारत में ग्रामीण परिवर्तन बुनियादी ढाँचे, आजीविका और मूलभूत सेवाओं में निरंतर सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026–27 रोजगार, कनेक्टिविटी, आवास, जल, बिजली एवं डिजिटल पहुँच के माध्यम से इस बदलाव को अधिक मजबूत करता है।

बजटीय प्रोत्साहन एवं ग्रामीण आजीविका

- ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2026–27 के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 21% की वृद्धि दर्शाता है।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त आवंटन 4,35,779 करोड़ रुपए से अधिक है जो गाँवों को नीतिगत प्राथमिकता के रूप में पुन:स्थापित करता है।

- भारत के पास विश्व की 2.4% भूमि और 4% जल है, फिर भी यह 17% जनसंख्या का भरण-पोषण करता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 6,62,336 गाँव; 2,57,816 ग्राम पंचायतें और कुल कार्यबल का 54.6% हिस्सा शामिल है।
- एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (MGNREGA) ने लगभग 8.5 करोड़ संपत्तियों का सृजन किया। वी.बी.-जी.आर.एम. (VB-GRM) अधिनियम विकसित भारत 2047 के अनुरूप टिकाऊ बुनियादी ढाँचे का विस्तार करता है।
- वी.बी.-जी.आर.एम. के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है; केंद्र सरकार इसमें से 95,692 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देती है।

अवसंरचना और सेवा वितरण

- पीएमजीएसवाई-IV (PMGSY-IV) परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2029 तक लगभग 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है जिसकी लागत ₹70,125 करोड़ है।
- वर्ष 2026–27 के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. को ₹19,000 करोड़ प्राप्त हुए हैं और 31 दिसंबर 2025 तक 99.7% बस्तियाँ कनेक्ट हो चुकी हैं।
- जल जीवन मिशन का कवरेज 2019 में 17% से बढ़कर 2026 की शुरुआत तक 81.31% हो गया।
- 19.39 करोड़ परिवारों में से 15.74 करोड़ परिवारों को नल का पानी मिलता है और 2026–27 के लिए ₹67,670 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से 18,374 गाँव जुड़े हैं; सौभाग्य के माध्यम से 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया।
- गाँवों में बिजली आपूर्ति का औसत स्तर 39% तक सुधर गया है जिससे सिंचाई की लागत कम हुई और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन मिला।

आवास, डिजिटल पहुँच और सामाजिक प्रभाव

- 1 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई पी.एम.ए.वाई.-ग्रामीण (PMAY-G) योजना आवास को स्वच्छता, एल.पी.जी., बिजली एवं पीने के पानी के साथ एकीकृत करती है।
- वर्ष 2027–28 के लिए ₹54,916.70 करोड़ आवंटित किए गए हैं और आगामी लक्ष्य 2029 तक 4.95 करोड़ घरों का निर्माण करना है।
- भारतनेट ने 2,64,635 ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड सेवा की दिशा में दिसंबर 2025 तक 2,14,904 गाँवों को सेवा के लिए तैयार कर लिया है।
- टेली-डेंसिटी 86.76% तक पहुँच गई और 99.9% जिलों में 5G सेवाएँ उपलब्ध हो गईं।
- ग्रामीण डाकघर सेवा केंद्र बनते जा रहे हैं जो वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस एवं व्यापक डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चार करोड़ घरों और 12.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी पहुँचाने की योजनाओं पर प्रकाश डाला।

निष्कर्ष

ग्रामीण अवसंरचना उत्पादकता, गरिमा और बाजार तक पहुँच बढ़ाकर ग्रामीण-शहरी अंतर को कम कर रही है। इसकी दीर्घकालिक सफलता विकसित भारत 2047 के तहत लक्षित कार्यान्वयन और मजबूत सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करना

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को ग्रामीण परिवर्तन के केंद्र में रखा गया है। यह आय सहायता से हटकर उत्पादकता, विविधीकरण, लचीलापन एवं टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों की ओर एक बदलाव का संकेत देता है।

आवंटन एवं नीतिगत बदलाव

- कृषि मंत्रालय का आवंटन 2024–25 से 2026–27 के दौरान 1.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- ग्रामीण विकास का आवंटन 2.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.66 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो बुनियादी ढाँचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल 1.63 लाख करोड़ रुपए का आवंटन आधुनिकीकरण और आजीविका संवर्द्धन में सहायक होगा।
- पीएम-किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट बरकरार रखा गया है; पी.एम.एफ.बी.वाई. (PMFBY) को 18,500 करोड़ रुपए मिले हैं जबकि सिंचाई एवं बुनियादी ढाँचे पर अधिक जोर दिया गया है।
- DARE के लिए मिलने वाला फंड 10,281 करोड़ रुपए से घटकर 9,967 करोड़ रुपए हो गया है जिससे अनुसंधान आधारित उत्पादकता लाभों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

Allocation for agriculture in the Budget in the last three years

Year	Agriculture & Farmers Welfare (₹lakh crore)	% Change	Rural Develop-ment (₹lakh crore)	% Change
2024-25	1.25	–	2.05	
2025-26	1.32	+5.6%	2.20	+7.3%
2026-27	1.41	+6.8%	2.66	+21%

उत्पादकता, विविधीकरण एवं जोखिम न्यूनीकरण

- बीज, मृदा, सिंचाई एवं विज्ञान के माध्यम से उपज में औसतन 2–2.5% की वृद्धि को बढ़ाकर 3–3.5% तक किया जा सकता है।
- उत्पादकता उन्मुख निवेश से 2028 तक प्रतिवर्ष 12–15 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है।
- फसल कटाई के बाद 15–20% नुकसान होने के बावजूद बागवानी कृषि के सकल मूल्य में 33% और उत्पादन में 38% का योगदान देती है।
- मत्स्य पालन उद्योग में 8–9% की वृद्धि दर से बढ़कर 10–11 की वृद्धि हो सकती है जिससे लगभग आठ लाख रोजगार सृजित होंगे।
- वर्ष 2026–27 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 22 लाख करोड़ रुपए है जबकि पी.एम.एफ.बी.वाई. कवरेज बढ़कर 38–40% हो सकता है।
- डिजिटल कृषि के विस्तार से लेन-देन लागत में 10–12% की कमी आ सकती है और मूल्य प्राप्ति में 5–8% का सुधार हो सकता है।

Allocation to different agricultural schemes in the Budget

Scheme	Allocation (₹ crore)	% Share of Agri Budget	Growth Trend
PM-KISAN	60,000	42%	Stable
PMFBY	18,500	13%	Increased
RKVY	12,000	8%	Moderate rise
PMKSY	11,500	8%	Strengthened
Agri Infrastructure Fund	10,000	7%	Expanded
Fisheries & Allied	9,200	6-7%	Rising

जलवायु लचीलापन एवं क्षेत्रीय फोकस

- सिंचाई के अंतर्गत कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 52% भाग आता है; जिसमें पी.एम.के.एस.वाई. (PMKSY) से 2–3 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हो सकती है।
- सूक्ष्म सिंचाई से जल उपयोग दक्षता में 30–40% तक सुधार हो सकता है और सिंचित क्षेत्र की उपज में 15–20% की वृद्धि हो सकती है।
- जलवायु अनुकूलन के माध्यम से लचीले बीजों और बीमा के द्वारा फसल हानि की परिवर्तनशीलता को 1.5–2% तक कम किया जा सकता है।
- प्राकृतिक खेती की पहलों का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को 8–10% तक कम करना है जिससे मृदा में कार्बन की बहाली में मदद मिलेगी।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लक्षित निवेश से उपज में 4–5% और क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 1% की वृद्धि हो सकती है।
- असम पूर्वोत्तर क्षेत्र के 60–65% खाद्यान्न और 2.3 मिलियन टन से अधिक फलों का उत्पादन करता है जिसमें अनानास सबसे प्रमुख है।

निष्कर्ष

बजट में स्थिर समर्थन और मजबूत संरचनात्मक निवेश के साथ संतुलित सुधार की दिशा झलकती है। इसका प्रभाव कार्यान्वयन की गुणवत्ता, बाजार पहुँच, राज्य समन्वय एवं संस्थागत सुधार पर निर्भर करेगा।

भारत में एक मजबूत और अधिक समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 में उच्च आवंटन, प्रणाली विस्तार, कार्यबल निर्माण और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को मजबूत किया गया है। यह स्वास्थ्य तक पहुँच, लचीलापन, सामर्थ्य एवं अनुसंधान को व्यापक समावेशी राष्ट्रीय विकास से जोड़ता है।

स्वास्थ्य प्रणाली वित्तपोषण एवं अवसंरचना

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आवंटन बढ़कर ₹1,06,530.42 करोड़ हो गया, जो 2025–26 की तुलना में लगभग 10% अधिक है।
- वर्ष 2014–15 से स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च 194% से अधिक बढ़ गया है, जिसमें स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए ₹4,821.21 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आवंटन बढ़ाकर ₹39,390 करोड़ कर दिया गया है जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृ-शिशु सेवाएँ, निगरानी एवं आशा कार्यकर्ता (ASHA) को सहायता प्रदान करने में मजबूती मिलेगी।
- पीएम-जय (PM-JAY) का आवंटन बढ़ाकर ₹9,500 करोड़ कर दिया गया है जिसमें गुणवत्ता सुधार, स्थिर पैनल में शामिल होने और समय पर प्रतिपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) की राशि बढ़कर ₹4,770 करोड़ हो गई जिससे क्रिटिकल केयर ब्लॉक, प्रयोगशालाओं, आपातकालीन तैयारियों और अस्पताल की क्षमता का विस्तार हुआ।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता में भारी वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹4,200 करोड़ हो गई, जिससे विकेंद्रीकृत उन्नयन को समर्थन मिला।

कार्यबल, पोषण एवं रोग नियंत्रण

- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) को नए एम्स के समर्थन, संस्थानों का संचालन करने और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाने के लिए ₹11,307 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन बजट बढ़कर ₹1,725 करोड़ हो गया है जिससे एम.बी.बी.एस., नर्सिंग व संकाय क्षमता को मजबूती मिली है।
- संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर योजना में 980 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य एक लाख पेशेवर और 1.5 लाख देखभालकर्ता हैं।
- सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 शिशु, मातृ एवं किशोर स्वास्थ्य व विकास में पोषण को सुदृढ़ करता है।
- पीएम पोषण का बजट बढ़कर ₹12,750 करोड़ हो गया है जो स्कूली भोजन को उपस्थिति, सीखने के परिणामों और बच्चों के स्वास्थ्य से जोड़ता है।
- NACO का बजट बढ़ाकर ₹3,477 करोड़ कर दिया गया, जबकि पूरे देश में रक्त आधान सेवाओं (Blood Transfusion Services) के लिए सहायता ₹275 करोड़ तक पहुँच गई।

डिजिटल स्वास्थ्य, नवाचार एवं व्यापक स्वास्थ्य निर्धारक

- राष्ट्रीय आयुष मिशन की राशि बढ़कर ₹1,300 करोड़ हो गई, जिससे निवारक, स्वास्थ्य-उन्मुख देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान एवं वितरण को मजबूती मिली।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का बजट बढ़कर ₹350 करोड़ हो गया है जिससे रिकॉर्ड, अंतरसंचालनीयता, टेलीमेडिसिन एवं एकीकृत प्रणालियों का विस्तार होगा।
- बायो-फार्मा शक्ति को बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और इनोवेशन को मजबूत करने के लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ शुरू किया गया है।
- 17 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट से उपचार लागत कम होती है। दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी राहत प्रदान की गई है।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित राशि में कमी आई है, फिर भी इसका समावेश रोगों के बोझ को कम करने में पर्यावरणीय स्वास्थ्य की भूमिका को रेखांकित करता है।
- बजट में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन एवं गंभीर देखभाल केंद्रों (Trauma Care Centres), एआई-सक्षम सुविधाओं और चिकित्सा-नर्सिंग सीटों का विस्तार किया गया है।

निष्कर्ष

बजट में खंडित योजनाओं से हटकर व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की दिशा में बदलाव झलकता है। इसका वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन, राज्य की क्षमता और समुदायों तक अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच पर निर्भर करेगा।

विकसित भारत के लिए युवा शक्ति को सशक्त बनाना

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 में शिक्षा, कौशल एवं नवाचार को विकसित भारत के केंद्र में रखा गया है। यह कक्षाओं, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और रोजगार क्षमता को आपस में जोड़कर विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्द्धी व युवा-संचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है।

शिक्षा संरचना एवं मूलभूत सुधार

- एनईपी 2020 (NEP 2020) सुधार का मार्गदर्शक बना हुआ है जो पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही, नवाचार एवं बहुविषयक शिक्षा को एकीकृत करता है।
- शिक्षा क्षेत्र को 1.39 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 8.27% की वृद्धि है जिससे यह बजट का छठा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है।
- उच्च शिक्षा को ₹55,727.22 करोड़ प्राप्त हुए जो 11.28% की वृद्धि है जिससे विश्वविद्यालयों, आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.एम. व शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती मिली है।
- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अब तक का सर्वाधिक ₹83,562 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है जिससे समग्र शिक्षा, पीएम-पोषण एवं पीएम-श्री योजनाओं को बढ़ावा मिला है।
- अटल टिंकरिंग लैब्स में से पहले से ही 10,000 प्रयोगशालाएँ हैं जिनमें 1.1 करोड़ छात्र संलग्न हैं और 50,000 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं पर काम चल रहा है।
- ए.टी.एल. (ATL) के विस्तार के लिए ₹3,200 करोड़ का फंड मिला है जो अनुभवात्मक शिक्षा को मजबूत करता है और यह संकेत देता है कि नवाचार की शुरुआत कक्षाओं में होती है।

कौशल, डिजिटल पहुँच एवं रोजगार क्षमता

- डिजिटल प्लेटफॉर्म, ग्रामीण संपर्क, ऑनलाइन भंडार और मिश्रित शिक्षा का उद्देश्य भूगोल आधारित शैक्षिक असमानता को कम करना है।
- शिक्षकों की क्षमता निर्माण केंद्रीय महत्त्व रखता है और प्रौद्योगिकी को एक उपकरण के रूप में मान्यता देना आवश्यक है, न कि मार्गदर्शन के विकल्प के रूप में।
- शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक का दृष्टिकोण पाठ्यक्रम को एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ संरेखित करता है।
- ए.वी.जी.सी. लैब्स देशभर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा।
- कंटेंट क्रिएटर लैब्स 2030 तक ऑरेंज इकोनॉमी में लगभग दो मिलियन पेशेवरों को सहायता प्रदान कर सकती है।
- सेवा क्षेत्रों के विस्तार के लिए एक लाख संबद्ध पेशेवरों और 1.5 लाख वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

अनुसंधान, नवाचार एवं संस्थागत परिवर्तन

- प्रमुख पहलों में पीएम-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, पीएम रिसर्च चेयर, एआई सेंटर और विश्व स्तरीय संस्थान शामिल हैं।
- एआई मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ए.एन.आर.एफ. एवं आर.डी.आई.एफ. के माध्यम से अनुसंधान की गति को आधिक मजबूत किया जा रहा है।

- पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ बायो-फार्मा शक्ति परियोजना घरेलू बायोलॉजिक्स एवं बायोसिमिलर्स उत्पादन क्षमता का निर्माण करती है।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 उपकरण, सामग्री, बौद्धिक संपदा एवं कुशल कार्यबल क्षमताओं को अधिक मजबूत करता है।
- पूर्वी भारत में स्थापित नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान डिजाइन शिक्षा एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है।
- वित्तपोषण शिक्षार्थी-केंद्रित परिणामों की ओर अग्रसर हो रहा है जिसमें आवंटन को रोजगार क्षमता, डिजिटल तत्परता, लचीलापन एवं मापन योग्य प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा है।

निष्कर्ष

बजट में शिक्षा को कल्याणकारी व्यय के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक मानव-पूंजी निवेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी सफलता समावेशी कार्यान्वयन, संस्थागत अनुकूलनशीलता और कक्षा से करियर तक मजबूत संबंधों पर निर्भर करेगी।

युवाओं को सशक्त बनाना, उद्यम को मजबूत करना

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 उद्यम सृजन, कौशल विकास और क्षेत्रीय समावेशन को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ता है। यह युवाओं, महिलाओं, लघु एवं मध्यम उद्यमों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार करने हेतु तीन कर्तव्य ढाँचे का उपयोग करता है।

लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण उद्योग और उद्यम सहायता

- MSMEs पहले 'कर्तव्य' का निर्माण करता है जिसमें विनिर्माण विस्तार, विरासत समूहों का पुनरुद्धार और शहरी आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं।
- 10,000 करोड़ रुपए के एस.एम.ई. (SME) विकास कोष का उद्देश्य इक्विटी, तरलता एवं मार्गदर्शन के माध्यम से अग्रणी उद्यमों का पोषण करना है।
- युवा आत्मनिर्भरता को क्षेत्रीय उद्यमों के तीव्र विकास से जोड़ते हुए लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के लिए बजट आवंटन बढ़कर ₹24,566.27 करोड़ हो गया है।
- पुनरुद्धार सहायता के तहत प्रतिस्पर्द्धात्मकता व दक्षता के लिए बुनियादी ढाँचे एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से 200 विरासत औद्योगिक समूहों को शामिल किया गया है।
- आत्मनिर्भर भारत फंड ₹2,000 करोड़ के साथ जारी है, जबकि सी.पी.एस.ई. (CPSE) की खरीद GeM प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है।
- खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं ओ.डी.ओ.पी. (ODOP) के विस्तार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना और गाँवों से शहरों की ओर पलायन को कम करना है।

कौशल विकास, आधुनिक रोजगार और युवा क्षमता

- दूसरे कर्तव्य में क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है जिसमें सेवा क्षेत्र का विस्तार और एक स्थायी कौशल विकास समिति शामिल है।
- संबद्ध स्वास्थ्य एवं आयुष कौशल विकास का उद्देश्य भविष्य में सेवा की माँग के लिए लाखों प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करना है।
- ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे।
- औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थित पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप शिक्षा और उद्योग को एक-दूसरे के करीब लाएंगे।
- आई.आई.एम. (IIM) के सहयोग से 12 सप्ताह के हाइब्रिड पाठ्यक्रमों के माध्यम से 20 पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- खेल एवं क्रिएटिव इंडस्ट्री सहित नए जमाने के क्षेत्रों को रोजगारोन्मुखी विकास के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।

क्षेत्रीय समावेशन, आईटी विस्तार और उद्यमशीलता में सुगमता

- तीसरा कर्तव्य किसानों, दिव्यांगजनों, पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को लक्षित करता है।
- एक बहुभाषी एआई कृषि उपकरण के रूप में भारत विस्तार उत्पादन, परामर्श, निर्णयन और ग्रामीण आय बढ़ाने में सहायता करता है।
- विस्तारित लखपति दीदी और क्लस्टर-आधारित स्वयं सहायता उद्यम बाजारों का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुद्धिस्ट सर्किट और मंदिर-मठ संरक्षण का उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना है।
- आई.टी. सेवाओं को 15.5% का एक समान सेफ हार्बर मार्जिन प्रदान किया गया है जिसमें सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये हो जाएगी।
- कूरियर द्वारा प्रति खेप निर्यात की 10 लाख रुपये की सीमा हटा दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायों के निर्यात में आसानी होगी।

निष्कर्ष

इस बजट का उद्देश्य रोजगार नीति को उद्यम-आधारित, क्षेत्रीय स्तर पर वितरित अवसरों में परिवर्तित करना है। इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, आसान ऋण और अंतिम छोर तक मजबूत संस्थागत समर्थन पर निर्भर करेगी।

हरित राजकोषीय उपायों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना

परिचय

केंद्रीय बजट 2026 हरित राजकोषीय उपायों के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई को आजीविका एवं वहनीयता से जोड़ता है। यह कृषि, राजकोषीय सुधार,

स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और रसद को एक निम्न-कार्बन ग्रामीण विकास रणनीति में एकीकृत करता है।

हरित कृषि एवं ग्रामीण लचीलापन

- बजट में ग्रामीण भारत को हरित परिवर्तन के केंद्र में रखा गया है और विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ा गया है।
- अखरोट, बादाम, काजू, कोको, नारियल और चंदन जैसी फसलों में विविधता लाने से ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्द्धन मजबूत होता है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी बीजों के लिए छह साल का एक मिशन बदलते मौसम में तुअर, उड़द एवं मसूर जैसी फसलों का समर्थन करता है।
- 500 जलाशयों का एकीकृत विकास मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है, आय के स्रोतों में विविधता लाता है और फसल चक्र पर निर्भरता को कम करता है।
- भारत-विस्तार एग्रीस्टैक और आईसीएआर प्रणालियों को एकीकृत करता है जिससे मौसम, मृदा, सिंचाई एवं कीटों पर वास्तविक समय में सलाह मिलती है।

राजकोषीय सुधार और स्वच्छ प्रौद्योगिकी

- सहकारी समितियों के लिए लक्षित जी.एस.टी. सुधार और राजकोषीय कटौतियाँ इनपुट सुरक्षा एवं ग्रामीण लचीलेपन को मजबूत करती हैं।
- पशुपालन को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सहायता प्राप्त करने से संस्थागत वित्तपोषण का विस्तार होता है और दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की आय स्थिर होती है।
- घरेलू स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फंडिंग 22,919 करोड़ रुपये से बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो गई है।
- सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तपोषण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

चक्रीय अर्थव्यवस्था, खनिज और हरित संपर्क

- सी.सी.यू.एस. (CCUS) को पाँच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने, दक्षता बढ़ाने और कुशल रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।
- चार राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ गलियारे स्थानीय प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण एवं मूल्यवर्द्धित खनिज रोजगार को बढ़ावा देते हैं।
- बैटरी मशीनरी, सोलर-ग्लास इनपुट और खनिज प्रसंस्करण पर चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी शुल्क छूट से पुनर्चक्रण क्षमता का विस्तार होता है।
- पाँच वर्षों में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने की योजना से स्वच्छ एवं निम्न लागत वाली ग्रामीण रसद सेवाओं का विस्तार होगा।
- अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से पहले से ही 145 मिलियन टन से अधिक माल का परिवहन हो रहा है जो हरित संपर्क को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाता है।
- तटीय माल परिवहन प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य जल आधारित परिवहन की हिस्सेदारी को 6 से बढ़ाकर 12% करना है।

निष्कर्ष

बजट में ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय वहनीयता को परस्पर सहायक लक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हरित वित्तीय सहायता को सुदृढ़ आजीविका, स्वच्छ उत्पादन और समावेशी ग्रामीण विकास में परिवर्तित किया जाए।

पशुधन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रयास

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 में कृषि रणनीति में बदलाव करते हुए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन को ग्रामीण विकास के केंद्र में रखा गया है। यह बजट 'विकसित भारत' के अनुरूप उत्पादकता, मूल्य शृंखला, निर्यात, ऋण उपलब्धता और आजीविका सुदृढ़ीकरण पर बल देता है।

आवंटन एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ

- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को 2026–27 के लिए रिकॉर्ड ₹8,915.26 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
- इसमें से ₹6,153.46 करोड़ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर खर्च के लिए हैं जबकि ₹2,761.80 करोड़ मत्स्य पालन पर खर्च के लिए हैं।
- कुल आवंटन में 26.7% की वृद्धि हुई है, जो फसल-केंद्रित समर्थन से हटकर विविध ग्रामीण विकास की ओर बदलाव का संकेत देती है।
- पी.एम.एम.एस.वाई. (PMMSY) योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं जबकि मत्स्य पालन योजना के लिए आवंटित 2,530 करोड़ रुपये सीधे तौर पर किसानों पर केंद्रित हैं।
- पशुधन एवं डेयरी उद्योग जी.डी.पी. में लगभग 5% का योगदान करते हैं और आठ करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का सहारा बनते हैं।

उत्पादकता, अवसंरचना एवं नीली अर्थव्यवस्था

- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम को टीकाकरण अभियान और विस्तारित पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए 2,010 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन को ₹800 करोड़ प्राप्त हुए, जो स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को आनुवंशिक उत्पादकता में सुधार के साथ जोड़ता है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को द्रुतशीतन (Chilling), प्रसंस्करण एवं सहकारी अवसंरचना के लिए ₹1,055 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

- ए.एच.आई.डी.एफ. (AHIDF) को डेयरी मूल्य शृंखलाओं और विपणन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ₹465 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
- मत्स्य पालन उद्योग भारत की 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है।
- समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग होने वाली सामग्रियों के लिए शुल्क-मुक्त आयात सीमा एक प्रतिशत से बढ़कर तीन प्रतिशत हो गई है।

ऋण, रोजगार एवं समावेशी ग्रामीण परिवर्तन

- डेयरी किसानों और मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की पहुँच का विस्तार किया गया है और इसकी ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
- बजट में 20,000 से अधिक पशु चिकित्सा पेशेवरों के साथ-साथ निजी कॉलेजों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं व प्रजनन सुविधाओं का प्रस्ताव है।
- 500 जलाशयों का एकीकृत मत्स्य विकास एवं अमृत सरोवर मत्स्य प्रसंस्करण, विपणन व निर्यात शृंखलाओं को समर्थन प्रदान करता है।
- इस पहल से लगभग 200 स्टार्टअप, 34 क्लस्टर और अंतिम छोर तक बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता मिल सकती है।
- देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं जिनमें से 1,200 से अधिक मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं।
- सहकारी समितियों, एफ.एफ.पी.ओ. और स्टार्ट-अप्स को एकीकृत समर्थन से लगभग 50 लाख व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

बजट में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को सुरक्षित ग्रामीण आजीविका एवं निर्यात आधारित विकास के मुख्य कारक के रूप में महत्त्व दिया गया है। इसका प्रभाव प्रभावी कार्यान्वयन, राज्य समन्वय एवं मजबूत अंतिम-मील बुनियादी ढाँचे व बाजार पहुँच पर निर्भर करेगा।

भारत की महिलाओं के लिए एक नया अध्याय - नीति, शक्ति एवं संभावना

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 वित्तीय प्रतिबद्धताओं और संस्थागत विस्तार के माध्यम से महिलाओं को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखता है। यह महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी के बजाय छात्र, उद्यमी, श्रमिक, नेतृत्वकर्ता एवं विकास के वाहक के रूप में प्रस्तुत करता है।

रिकॉर्ड लिंग आधारित बजट और संरचनात्मक बदलाव

- लैंगिक समानता के लिए बजट आवंटन 5.01 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो 11.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और केंद्रीय बजट का 9.37 प्रतिशत है।
- कुल 53 मंत्रालयों ने लिंग आधारित आवंटन की जानकारी दी है जो अब तक की सबसे व्यापक अंतर-सरकारी भागीदारी को दर्शाता है।
- अब लैंगिक बजटिंग में स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, आवास, कौशल और बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।
- यह महिला-केंद्रित योजनाओं से हटकर राज्य संरचना में अंतर्निहित लिंग-संवेदनशील शासन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।
- इस राजकोषीय ढाँचे की वास्तविक परीक्षा इसके कार्यान्वयन, पारदर्शी निगरानी एवं सामुदायिक सहभागिता में ही निहित है।

शिक्षा, उद्यम एवं सुरक्षा सहायता

- प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास के प्रस्ताव का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM) से संबंधित पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा तक सुरक्षित पहुँच प्रदान करना है।
- SHE-Marts महिला समुदाय के स्वामित्व वाले खुदरा स्थान का निर्माण करते हैं जिससे बाजार तक पहुँच, ब्रांडिंग, आपूर्ति शृंखला एवं उद्यम के विस्तार में सुधार होता है।
- मिशन शक्ति को ₹3,605 करोड़ प्राप्त हुए हैं जो वन स्टॉप सेंटर, सुरक्षा प्रणालियों, जागरूकता और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करेंगे।
- इन उपायों से शैक्षिक अवसंरचना, उद्यम निर्माण, संस्थागत समर्थन और संगठित बाजारों में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार होता है।

विकास के प्रेरक के रूप में महिलाएँ

- बजट 2026–27 में महिलाओं को आर्थिक विकास के चालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि केवल पोषण और कल्याणकारी योजनाओं की प्राप्तकर्ता के रूप में।
- अवसंरचना नियोजन महिलाओं की गतिशीलता पर नजर रखता है, जबकि शिक्षा और कौशल विकास प्रणालियाँ नामांकन, प्रतिधारण एवं भागीदारी की निगरानी करती हैं।
- ग्रामीण विकास की पहलों में महिलाओं की नेतृत्व भूमिकाओं को तेजी से शामिल किया जा रहा है जो लैंगिक समानता के व्यापक संस्थागत मुख्यधाराकरण का संकेत है।
- 8 मार्च को लिए गए वित्तीय निर्णय समानता की वाक्पटुता को मापने योग्य नीति, शक्ति, संभावना और पहुँच में बदल देते हैं।
- कुल मिलाकर, यह बजट भारत के दीर्घकालिक विकास पथ में महिलाओं को केंद्रीय हितधारक के रूप में मान्यता देता है।

निष्कर्ष

यह बजट महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, उद्यमशीलता एवं नेतृत्व के प्रति संरचनात्मक प्रतिबद्धता का संकेत देता है। इसका महत्त्व इस बात पर निर्भर करेगा कि ये आवंटन कितने प्रभावी ढंग से वास्तविक अवसरों में तब्दील होते हैं।

ग्रामीण परिवर्तन में बजट आवंटन और बैंक ऋण की भूमिका

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 सार्वजनिक व्यय एवं बैंक ऋण को ग्रामीण परिवर्तन और आत्मनिर्भरता से जोड़ता है। यह गाँवों को विकास केंद्रों में बदलने के लिए कृषि, अवसंरचना, आजीविका, उद्यमिता और औपचारिक वित्त को एकीकृत करता है।

ग्रामीण परिवर्तन के लिए बजटीय प्रोत्साहन

- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त आवंटन 4,35,779 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है जो गाँवों व किसानों के लिए मजबूत समर्थन को दर्शाता है।
- कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ₹1,62,671 करोड़ प्राप्त हुए हैं जो वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमानों से 7.12% अधिक है।
- उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे उत्पादन लागत कम हो रही है और मृदा उर्वरता में सुधार हो रहा है।
- VB-GRAM G को 95,692 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जो एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (MGNREGA) का स्थान लेगा और ग्रामीण परिवारों के लिए 125 मजदूरी-रोजगार दिवसों की गारंटी देगा।
- ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिससे पंचायती राज क्षमता, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धन जुटाया जाएगा।

ऋण, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण आबादी के लिए औपचारिक ऋण तक आसान पहुँच को व्यापक बनाने के लिए 'ग्रामीण ऋण स्कोर' (Rural Credit Score) लॉन्च किया है।
- वर्ष 2013–14 से अब तक 50,000 से अधिक 'बैंक सखियों' ने ₹12 लाख करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए हैं।
- ऋण से जुड़ी सब्सिडी और विस्तारित ऋण वितरण के माध्यम से किसानों, पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता मिलती है।
- शी-मार्ट स्वयं सहायता समूह की उन महिलाओं का समर्थन करता है जो सीधे उपभोक्ताओं को अपना सामान बेचती हैं, जिससे उन्हें जीवन निर्वाह से उद्यमशीलता की ओर बढ़ने में मदद मिलती है।
- 10,000 करोड़ रुपये का एस.एम.ई. ग्रोथ फंड और कॉर्पोरेट मित्र योजना का उद्देश्य ग्रामीण लघु व्यवसायों को मजबूत करना है।

संरचनात्मक चुनौतियाँ और आगे की राह

- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने में, विशेष रूप से छोटे किसानों और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने में, बैंकों को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- जमा वृद्धि (Deposit Growth), ऋण वृद्धि (Loan Growth) से कम है जिससे शुद्ध ब्याज मार्जिन कम हो जाता है और बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने वालों को प्रायः अस्थिर आय का सामना करना पड़ता है जिससे वसूली की लागत बढ़ जाती है और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर दबाव बढ़ जाता है।
- कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अगले तीन वर्षों के भीतर किसानों और भूमि अभिलेखों को एकीकृत करेगी।
- दो वर्षों में शुरू की गई प्राकृतिक कृषि पहलों का उद्देश्य एक करोड़ किसानों को टिकाऊ और प्रमाणित कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करना है।
- पीएमकेएसवाई (PMKSY), आरकेवीवाई (RKVY), एआईएफ (AIF) और केसीसी (KCC) जैसे कार्यक्रम उत्पादकता, विविधीकरण व कृषि आय को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं।

निष्कर्ष

बजट में ग्रामीण भारत को केवल कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि एक उत्पादक आर्थिक चालक के रूप में देखा गया है। इसकी सफलता मजबूत ऋण प्रवाह, निम्न ऋण जोखिम और अंतिम छोर तक प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

अतुल्य भारत : विरासत से आतिथ्य सत्कार तक

परिचय

केंद्रीय बजट 2026–27 में पर्यटन को विरासत, आजीविका, संपर्क और क्षेत्रीय विकास को जोड़ने वाले एक रणनीतिक विकास इंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पर्यटन को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक ग्रामीण परिवर्तन रणनीति के एक भाग के रूप में माना गया है।

विरासत, कौशल एवं अनुभव (Experience) अर्थव्यवस्था

- पर्यटन जी.डी.पी. में 5% से अधिक का योगदान देता है और कुल रोजगार के 13% से अधिक का समर्थन करता है।
- राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद को राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान में उन्नत किया गया है, जिससे कार्यबल की तैयारी को मजबूती मिलेगी।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से प्राप्त टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण गाइडों को सूचना प्रदाता से अनुभव संग्राहक के रूप में बदल देता है।
- लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित पंद्रह पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जा रहा है।
- 'सूचना' स्तंभ के अंतर्गत एक विशाल डिजिटल भंडार विरासत, आध्यात्मिक और ग्रामीण स्थलों की दृश्यता में सुधार करता है।

पर्यावरण पर्यटन, सर्किट एवं ग्रामीण उद्यम

- पर्यावरण-पर्यटन योजनाओं में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, अराकू घाटी और पश्चिमी घाट के पर्वतीय मार्ग शामिल हैं।
- तटीय राज्यों में कछुआ मार्ग (Turtle Trails) और पुलिकट झील के पक्षी अवलोकन सर्किट वन्यजीव पर्यटन एवं संरक्षण से जुड़ी आजीविका को मजबूत करते हैं।

- वस्त्र उद्योग गाँवों का आधुनिकीकरण, समर्थ 2.0 और मेगा टेक्सटाइल पार्क शिल्प-आधारित अनुभवात्मक पर्यटन और कारीगरों की आय को बढ़ावा देते हैं।
- तावांग मठ और रुमटेक मठ के आस-पास के बौद्ध पर्यटन स्थल पूर्वोदय (योजना) से जुड़े पूर्वी पर्यटन विकास के पूरक हैं।
- प्रस्तावित एस.एम.ई. ग्रोथ फंड होमस्टे, बुटीक होटल, ट्रैवल एजेंसियों और ग्रामीण पर्यटन उद्यमों के लिए पूंजी तक पहुँच में सुधार करता है।

संपर्क, स्वास्थ्य एवं समावेशी विकास

- सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख शहरों और दूरस्थ पर्यटन स्थलों के बीच आवागमन को बेहतर बना सकते हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग और तटीय संपर्क से मछली पकड़ने वाले गाँवों, विरासत बंदरगाहों और ग्रामीण पर्यटन मार्गों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है।
- खेलो इंडिया के विस्तार से खेल पर्यटन के लिए अवसर खुलते हैं जबकि क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- पर्यटन का गुणक विदेशी मुद्रा, परिवहन, हस्तशिल्प, खुदरा व्यापार, स्थानीय सेवाओं और विभिन्न कौशलों से संबंधित रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
- बजट का उद्देश्य पर्यटन को छिटपुट अवसर से आजीविका सुरक्षा और संतुलित विकास के एक सुनियोजित मार्ग में परिवर्तित करना है।
- दीर्घकालिक सफलता वहनीयता, सामुदायिक स्वामित्व, समान लाभ-साझाकरण और क्षेत्रों में समन्वित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष

बजट में पर्यटन को ग्रामीण समृद्धि, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्रीय समावेशन के उत्प्रेरक के रूप में देखा गया है। यदि इसे अच्छी तरह से लागू किया जाए, तो यह विरासत और आतिथ्य सत्कार को टिकाऊ स्थानीय आजीविका में बदल सकता है।

बीज अधिनियम-2026 : नकली बीजों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच

परिचय

बीज अधिनियम-2026 का उद्देश्य भारत के बीज विनियमन ढाँचे का आधुनिकीकरण करना और किसानों को नकली एवं घटिया बीजों से बचाना है। यह अधिनियम पहचान योग्यता, अनिवार्य पंजीकरण, कड़े दंड, वैज्ञानिक निगरानी व किसानों के विश्वास पर केंद्रित है।

पता लगाने की क्षमता (Traceability) और बाजार विनियमन

- बीज के प्रत्येक व्यावसायिक पैकेट पर एक क्यूआर कोड होना अनिवार्य है, जिससे उत्पत्ति, उत्पादन विवरण और विक्रेता की साख का सत्यापन किया जा सके।
- देशव्यापी ट्रेसबिलिटी से नियामकों को दोषपूर्ण बैचों की शीघ्र पहचान करने और बीज आपूर्ति शृंखला में जवाबदेहिता में सुधार करने में मदद मिलती है।
- अब अनिवार्य पंजीकरण बाजार में कार्यरत सभी बीज कंपनियों, डीलरों और वाणिज्यिक विक्रेताओं पर लागू होता है।
- इसका लक्ष्य अस्थायी व अपंजीकृत विक्रेता हैं जो विशेष रूप से बुवाई के मौसम के दौरान सक्रिय होते हैं जब सत्यापन प्रायः सबसे कमजोर होता है।
- यह कानून बीज व्यापार को एक अपारदर्शी नेटवर्क से बदलकर एक निगरानीयुक्त, सत्यापन योग्य और जवाबदेह वाणिज्यिक प्रणाली में बदल देता है।

रोकथाम, निगरानी एवं किसान संरक्षण

- नए कानून के तहत नकली, अपंजीकृत या घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर अब अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।
- जुर्माना 30 लाख रुपये तक हो सकता है, जबकि गंभीर या बार-बार किए गए अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद हो सकती है।
- आई.सी.ए.आर., कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसे वैज्ञानिक संस्थानों को गुणवत्ता मूल्यांकन में अधिक मजबूत भूमिकाएँ प्रदान की जा रहीं हैं।
- बाजार में आने से पहले किए जाने वाले कठोर मूल्यांकन से विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अनुपयुक्त या कम अनुकूल बीजों के प्रवेश का जोखिम कम हो जाता है।
- रिपोर्टिंग व निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए किसान जागरूकता अभियान और उत्तरदायी शिकायत प्रणालियों पर जोर दिया जाता है।

अधिकार, पारदर्शिता और ग्रामीण आत्मविश्वास

- बीज अधिनियम 2026 किसानों के बीज बचाने, बोने, आदान-प्रदान करने या साझा करने के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
- यह अधिनियम केवल वाणिज्यिक बीज बिक्री को विनियमित करता है, आधुनिक निगरानी को सांस्कृतिक निरंतरता और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ संतुलित करता है।
- सुधारों का उद्देश्य एक पारदर्शी बीज बाजार का निर्माण करना है जो जिम्मेदार निजी भागीदारी और दीर्घकालिक योजना को प्रोत्साहित करता है।
- पंजीकरण, डिजिटल सत्यापन, संस्थागत प्रमाणीकरण और जागरूकता को मिलाकर यह कानून कई स्तरों पर धोखाधड़ी से निपटता है।

निष्कर्ष

यह अधिनियम भारतीय कृषि की निरंतर बनी रहने वाली कमजोरियों में से एक का संरचनात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। इसकी सफलता प्रभावी जमीनी स्तर के प्रवर्तन, किसानों की जागरूकता और विश्वसनीय संस्थागत निगरानी पर निर्भर करेगी।